

अरुण सक्सेना
महाप्रबन्धक
Arun Saksena
General Manager



उत्तर मध्य रेलवे
सूबेदारगंज
इलाहाबाद-211015

North Central Railway
Subedarganj,
Allahabad-211015



संदेश

“संरक्षा सर्वप्रथम और सदैव” संरक्षा विभाग द्वारा कर्मचारियों की जागरूकता, नियमों की जानकारी हेतु संरक्षा बुलेटिन “जागरूकता” के तेरहवें संस्करण का चतुर्थ अंक प्रकाशित किया जा रहा है। मैं पत्रिका के प्रकाशन से सम्बद्ध सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूँ।

संरक्षित, समयबद्ध एवं सुरक्षित रेल संचालन हमारा परम कर्तव्य है। इस वर्ष के बजट भाषण में माननीय रेलमंत्री महोदय ने भी दुर्घटना रहित रेल संचालन को एक मिशन के तौर पर अपनाने हेतु निर्देशित किया है। “शून्य दुर्घटना” हम सबका उद्देश्य होना चाहिए। हम सबकी सतर्कता, सजगता एवं कर्तव्यपरायणता ही इसे संभव बनायेगी।

संरक्षा बुलेटिन के माध्यम से रेल कर्मचारियों को घटित दुर्घटनाओं के कारण से अवगत कराने के साथ भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इसका सबक सभी तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। इस बुलेटिन में रेलवे बोर्ड द्वारा निर्गत “आग संरक्षा उपाय” सम्बन्धी निर्देशों को शामिल किया गया है। मुझे आशा है कि सम्बन्धित विभागों द्वारा इनके शीघ्र अनुपालन हेतु आवश्यक कदम उठाये जा चुके होंगे। वर्ष, 1998 में रेलवे बोर्ड द्वारा कर्मचारियों को संरक्षा के प्रति और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से “दुर्घटना रहित सेवा” पुरस्कार सम्बन्धी निर्देशों को सरलीकृत करते हुये जारी किया था। संरक्षा बुलेटिन के इस अंक में इनका समावेश कर्मचारियों तक इन निर्देशों की जानकारी पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया है। मुझे आशा है कि सभी कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे।

(अरुण सक्सेना)

सावधान मनुष्य संरक्षा का सर्वोत्तम साधन है।

संदेश

प्रिय रेल साथियों,

राष्ट्र की जीवनरेखा कहलाने वाली भारतीय रेलवे के सुरक्षित संचालन का महत्त्वपूर्ण दायित्व सभी रेलवे कर्मचारियों के हाथों में है तथा इसका संरक्षित संचालन सुनिश्चित करना आप सभी से सदैव अपेक्षित भी है। अमूल्य मानव जीवन एवं बहुमूल्य राष्ट्रीय सम्पत्ति को बचाना प्रत्येक रेल कर्मचारी का परम कर्तव्य है। यह गर्व एवं प्रसन्नता का विषय है कि हमारे अधिकारियों एवं रेल कर्मचारियों की सतर्कता एवं जागरुकता के कारण इस वर्ष घटित दुर्घटनाओं में विगत वर्ष की अपेक्षा 44 प्रतिशत की कमी आयी है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ।

त्रैमासिक संरक्षा बुलेटिन के इस अंक में वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में घटित दुर्घटनाओं की तुलनात्मक सांख्यिकी दर्शायी गयी है। किसी भी प्रकार की दुर्घटना रेल की छवि धूमिल करती है, खास तौर पर मानवीय भूल से घटित होने वाली दुर्घटना। हमें प्रण लेना है कि मैं अपनी गलती, लापरवाही से कोई दुर्घटना घटित नहीं होने दूँगा। हमें यह भी संकल्प लेना है कि मैं संरक्षा के लिए सदैव समर्पित एवं प्रतिबद्ध रहूँगा। साथ ही साथी कर्मचारियों को सदैव सतर्क रहने एवं संरक्षित रेल संचालन हेतु प्रेरित एवं जागरुक करता रहूँगा।

जागरुकता पत्रिका के इस अंक में संरक्षा संचेतना दर्शाने वाले कर्मचारियों का विवरण दर्शाकर संरक्षा के प्रति उनके उल्लेखनीय योगदान को स्मरण किया गया है। ट्रेक पर कार्य करने वाले कर्मचारियों हेतु “क्या करें या क्या न करें” शीर्षक के अंतर्गत उनके ज्ञानवर्धन एवं संरक्षित कार्य सम्पादन हेतु जानकारी दर्शायी गयी है। कोच में आग लगने पर मौजूद कर्मचारियों द्वारा क्या कार्यवाही अपेक्षित है, यह जानकारी उपयोगी साबित होगी ऐसा मुझे विश्वास है।

मैं आशा करता हूँ कि रेल संचालन से जुड़े सभी कर्मचारी इस बुलेटिन का सदुपयोग करेंगे तथा दुर्घटनामुक्त गाड़ी संचालन की दिशा में अग्रसर होंगे। प्रभावी निरीक्षण एवं सतर्क कर्मचारी ही संरक्षा का सर्वश्रेष्ठ साधन हैं। मैं इस पत्रिका को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए आपके लेख, सुझाव और विचार आमंत्रित करता हूँ।

Kusana
15/5

(सुधीर अग्रवाल)

मुख्य संरक्षा अधिकारी

Email : cs0@ncr.railnet.gov.in

Fax : 0532-2230442

गति प्रबंधन का सदैव पालन करें।

विषय सूची

सं०	विषय	पेज नं.
1.	तुलनात्मक दुर्घटना सांख्यिकी	4
2.	जनवरी से मार्च, 2016 में घटित दुर्घटनाओं का विवरण	5
3.	संरक्षा अभियान	7
4.	रेलवे बोर्ड से जारी प्राप्त महत्त्वपूर्ण पत्र	8
5.	विविध विषय	
5.1	संरक्षा संचेतना दर्शाने वाले कर्मचारियों का सम्मान	16
5.2	क्या करें या क्या न करें (ट्रैक मैन)	23
5.3	आपात्कालीन स्थितियों के आवश्यक मार्गदर्शन	24
5.4	क्या करें या क्या न करें (सं.एवं दूरसंचार कर्मचारी)	28
5.5	क्या करें या क्या न करें (यांत्रिक कर्मचारी)	30
5.6	फुट प्लेट निरीक्षण की चेक लिस्ट	32

अध्याय - 1

तुलनात्मक दुर्घटना सांख्यिकी

क्रम सं.	दुर्घटना का वर्ग	2013 - 14	2014 - 15	2015-16
1.	टक्कर	-	--	-
2.	अवपथन	-	3	3
(i)	स्टेशन	-	--	1
(ii)	सेक्शन में	-	3	2
3.	समपार	3	1	1
(i)	मानवसहित	-	--	-
(ii)	मानवरहित	3	1	1
4.	आग	1	3	-
	कुल	4	7	4
5.	सांकेतिक दुर्घटनाएँ	6	13	5
6.	अन्य दुर्घटनाएँ	17	16	9
7.	यार्ड दुर्घटनाएँ	33	61	16

सावधान मनुष्य संरक्षा का सर्वोत्तम साधन है।

अध्याय - 2

जनवरी से मार्च, 2016 की तिमाही में घटित परिणामी दुर्घटनाओं का विवरण।

आगरा मण्डल

- (i) दिनांक 31.03.2016 को मथुरा – अलवर खण्ड के उँटवाड–रामगढ़ स्टेशनों के बीच गाड़ी सं० आई.सी.डी.जी. स्पेशल का अवपथन।

कारण : ट्रैक व वैगन में खराबी।

सबक : उचित अनुरक्षण का न होना।

जनवरी से मार्च, 2016 की तिमाही में घटित मुख्यालय रिपोर्टेड दुर्घटनाओं का विवरण।

आगरा मण्डल

- (i) दिनांक 19.01.2016 को जाजो – मनिया स्टेशनों के मध्य गाड़ी सं० उरई स्पेशल के वैगन सं० 33101062769 बीसीएनएचएल का अवपथन हो जाना।

कारण : व्हील डिस्क का कैंक हो जाना।

सबक : वैगन का रख रखाव निर्धारित मानकों के अनुरूप होना सुनिश्चित न किया जाना।

दुर्घटना बचाने हेतु सर्वोत्तम समय दुर्घटना से पहले का है।

- (i) दिनांक 12.01.2016 को अथसराय यार्ड में गाड़ी सं० 12311 (कालका मेल) के एस-5 कोच सं० 94251 डब्ल्यूजीएससीएनईआर के हावड़ा छोर पर कोच हेड स्टॉक का फेल हो जाना।

कारण : कोच हेड स्टॉक का फेल हो जाना।

सबक : वैगन का रख रखाव निर्धारित मानकों के अनुरूप होना सुनिश्चित न किया जाना।

- (ii) दिनांक 15.03.2016 को गाड़ी सं० सीपीसीआरओएच बीएलसी/ई स्पेशल के दो बीएलसी/ई के वैगनों का शिकोहाबाद स्टेशन से प्रस्थान होते ही अवपथित हो जाना।

कारण : अनुमत गति से अधिक गति से चलना।

सबक : गति नियमों की अवहेलना।

संरक्षा पत्रिका "**जागरुकता**" में प्रकाशित निर्देश नियम किसी भी परिस्थिति में विभिन्न नियमावलियों / कोड में दिये गये निर्देशों का अतिक्रमण नहीं करते हैं।

संरक्षा सर्वप्रथम हो, अंत तक हो एवं सदैव हो।

अध्याय - 3

संरक्षा अभियान

जनवरी से मार्च, 2016 तिमाही में जारी किये गये संरक्षा अभियान ।

क्रम सं०	विषय	अवधि	लागू करने की तिथि
1	शान्तिग के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मुख्यालय का संरक्षा अभियान ।	1 माह	11.01.2016
2	समपार फाटकों के लिए रेलवे बोर्ड का संरक्षा अभियान ।	7 दिन	14.01.2016
3	लोड को खड़ी अवस्था में सुरक्षित करने के लिए मुख्यालय का संरक्षा अभियान ।	10 दिन	13.02.2016
4	शान्तिग के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए झाँसी मण्डल के लिए मुख्यालय का संरक्षा अभियान ।	7 दिन	18.02.2016
5	टैंक मशीन सुपरवाइजर्स एवं टावर वैगन चालकों के लिए मुख्यालय का संरक्षा अभियान ।	7 दिन	20.02.2016
6	गर्म धुरा की पहचान के लिए मुख्यालय का संरक्षा अभियान ।	7 दिन	17.03.2016
7	गाड़ी इंजन एवं सहायक इंजनों के कार्य करने के लिए बनाये गये नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु रेलवे बोर्ड का संरक्षा अभियान ।	15 दिन	18.03.2016

यात्रियों की संरक्षा आपका परम कर्तव्य है ।

अध्याय - 4
रेलवे बोर्ड से जारी महात्वपूर्ण पत्र

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. 97/Safety-1/11/9

New Delhi, dated 25.03.2015

General Managers
All Indian Railways
CMD/KRCL

Sub : Working of Mail/Express trains by Loco Pilot (Goods) in emergency.

Ref. : (i) Board's letter No. 97/M(safety)/7/2/c/4(i) dt. 20.10.1997
(ii) Board's letter No. 97/Safety-1/11/9 dt. 31.07.1997

Instructions were issued vide letters under reference for working of Mail/Express trains by Loco Pilot (Goods) in emergency and in case of diverted trains. Board has reviewed these instructions in view of references received from Zonal Railways and it is decided that the following instructions should be followed :

- i. Rajdhani/Shatabdi/Duronto Express should not run by LP (Goods) under any circumstances. If necessary, trains should be run by withdrawing regular Loco Pilots from the scheduled links.
- ii. Generally Mail/Express trains and Diverted Mail/Express trains should be run by Loco Pilot (Mail/Pass). If LP (Mail/Pass) is not available to work these trains then,
 - a) All divisions should prepare a panel of adequate number of LP (Goods) holding 'A' - Grade.
 - b) Panel of such LP (Goods) should be drawn duly screening them by Traction and Safety Officers.
 - c) These trains will be run by the empanelled LP (Goods) as per the point (a) above.
 - d) In case of empanelled LP (Goods), as per point (a) above is not available, then an LI must accompany the Loco Pilot on the foot-plate.
- iii. In case competent Loco Pilot as specified above is not available for running a particular type of locomotive, the power should be changed with another type for which competent crew is available.

संरक्षा नियमों का पालन आप पर निर्भर है।

- iv. Even in cases where Mail/Express posts are vacant and the division are not able to conduct selections/suitability due to some reasons, it is to be ensured that they should draw up a panel of LP (Goods) holding 'A' - Grade, who should be engaged to work Mail/Express trains.

The above instructions should be complied strictly.

Sd/-
(P.S. Mishra)
Executive Director/Safety

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)**

No. 86/Safety-I/24/35

New Delhi, dated 11.09.2007

The General Managers
All Indian Railways

Sub : Award to Railway Staff for Accident-free service

In partial modification of instructions issued vide Board's letter of even number dated 06.07.1998, Board have decided to grant accident free service award in favour of widow/spouse or legal heir of the employee in case of his death while in service and also the staff who have taken voluntary retirement in addition to superannuation.

This issues with the concurrence of Finance Directorate of Board's office.

please acknowledge the receipt.

Sd/-
(Girish Chandra)
Adviser Safety
Railway Board

कार्य करते वक्त जोखिम न उठाएँ ।

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)**

No. 86/Safety-I/24/35

New Delhi, dated 22.05.2007

The General Managers
All Indian Railways

Sub : Counting of service towards grant of Accident free Service Award

Ref. : Board's letter No. 86/Safety-I/24/35 dated 06.07.1998 regarding Award to Railway Staff for Accident-free service.

Arising out of a PNM item of NFIR (1/2003) the issue of counting service rendered in Asstt. Pilot/Shunter grade towards grant of Accident Free Service Award has been examined afresh by Board and it has been decided that the service rendered in Asstt. Pilot. Shunter grade may be included in the qualifying service for granting Accident Free Service Award to Drivers/Motormen subject to the following conditions :

The time spent on 'foot plate' duty may only be included while the time spent on stationery and other non-driving duties may be excluded at the time of sanctioning Award.

These Instructions will come into effect prospectively from the date of issue of this letter.

Other conditions referred in Board's letter of even number dated 06.07.1998 will remain unchanged.

This issues with the concurrence of Financial Directorate of Board's Office.

Please acknowledge the receipt.

Sd/-

(Girish Chandra)

Adviser Safety, Railway Board

Copy forwarded for information to :

1. All the Principal Directors, Audit, All Indian Railways.
2. The Deputy Comptroller and Auditor General of Indian Railways Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi (with 46 spares).
3. FA & CAOs, All Indian Railways.

For Financial Commissioner/Railways

हमेशा सतर्कता से कार्य करें ।

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)**

No. 86/Safety-I/24/35

New Delhi, dated 06.07.1998

The General Managers & OSDs,
All Indian Railways.

Sub : Award to Railway Staff for Accident-free service.

**Ref. : Railway Ministry's letters number E(G) 82A??/I-12 dated
26.03.87, 19.08.88, 7.12.89, 12.02.90, 22.03.90 and 7.10.91**

Board in superession of all the previous instructions issued on the subject has decided to furhter change the shceme of Addident-free service award to the eligible categories of safety staff only at the time of retirement in the following manner and conditions:

It is now dedided that the entire length of service of the staff should be viewed in totality for the purpose of granting of this award. The quantum of award will vary depending on the total length of service in all the eligible categories combined.

The quantum of award as also the minimum qualifying service is proposed to be revised as follows :

A. For Drivers/Motorman :	Amount in cash
Qualifying length of service for award	Basic pay without any allowances.
upto 7 years service	20 days
upto 15 years servive	40 days
upto 23 years service	60 days
above 23 years service	90 days
B. For ASMs/SMs/Pointsmen/ Cabinman/Switchmen	
upto 7 years service	15 days
upto 15 years service	30 days
upto 23 years service	45 days
beyond 23 years service	60 days

1. No change in the existing categories of staff eligible for award.
2. Length of service will be counted while working in safety category only. The scheme shall be implemented from 01.01.1995.

दुर्घटना बचाने हेतु सर्वोत्तम समय दुर्घटना से पहले का है।

3. If the staff has been promoted from one eligible category to another eligible category then the total of his service span in all such eligible categories combined is to be counted.
4. While assessing suitability of staff for grant of award any staff who has been punished with a major penalty either in an accident case or in a case related to violation of safety rules and safety norms will be debarred.
5. The underlying principle is that a generally careless, negligent, indisciplined or recalcitrant worker should not be considered for an award even if he has no accident-free record.
 - (a) Any staff who has been punished with a major penalty in connection with any other case also will not be eligible for the award.
 - (b) Any staff who has been punished with a minor penalty either in an accident case or in a case relating to violation of safety rules and safety norms, will be given the award at a reduced scale as follows :

Punishment	Percentage award amount to be reduced
For one minor penalty	30 %
For two minor penalty	70 %
For three or more minor penalty	No Award

This has the approval of Finance Directorate of Board's Office.

Please acknowledge the receipt.

Sd/-
(Indra Ghosh)
 Executive Director (Safety)
 Railway Board

No. 86/Safety-I/24/35

New Delhi, dated 06.07.1998

भाग्य पर निर्भर न रहें बल्कि संरक्षा में विश्वास रखें।

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)**

No. 2014/Safety(DM)/7/8

New Delhi, dated 14.07.2014

General Managers
All Indian Railways

Sub : Inspection by Safety Officers in coaching depots.

Accident trend in the first quarter of year 2014-15 indicates a drastic increase in the number of derailments that took place over Indian Railway. Till date when compared to 10 derailments in the last year. In this year 23 derailments occurred over Indian Railway. To assess and ascertain the effectiveness and efficacy of the inspections carried out by the safety officers, copies of the inspection notes in the pit-lines/washing lines/sick lines for the last one year were obtained from the zonal Railways. From the data received in the Railway Board it is felt that the number of inspections were meagre and the quality of the inspection is not up to the expected levels. In fact, some of the safety officers in the zonal headquarters and in the division have not conducted any inspection in the last one year covering coach maintenance facilities.

It is requested that suitable instructions may be issued to all the safety officers for conducting inspections in the coaching depots atleast once in a quarter with emphasis on safe maintenance practices.

Sd/-
(Sanjiv Garg)
Advisor/Safety

कार्य के प्रति हमेशा सतर्क रहें एवं संरक्षा का पालन करें।

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)**

No. 2012/Safety(DM)/6/12/2

New Delhi, Dated 16.11.2015

The General Managers
All Indian Railways &
CMD/KRCL

Sub : Fire safety measures at Railway Stations.

Ministry of Railways (Railway Board) had nominated fire safety audit teams to identify areas requiring upgradation in fire safety to match with the international standards. The recommendations of safety audit teams have been accepted by Board (MT, MS, ML & MM).

One of the recommendations of the Audit team was that an appropriate department may be nominated to carry out efforts of multi disciplinary in nature to improve fire safety at stations. Accordingly Board has reviewed fire preparedness at Railway Stations & associate buildings and Board (MT) desires that following measures be taken :

1. Station Manager/Station Master should be responsible for provision of firefighting equipment at stations and buildings attached to stations with passenger interface.
2. Fire safety at buildings and establishments other than those indicated in Point above should be the responsibility of the officer-in-charge of the building.
3. Zonal Railways should review the availability and requirement of fire extinguishers at Stations/Associate buildings as per the National Building Code of India, Part 4 -Fire and Life Safety issued by Bureau of Indian Standards and IS 2190-2010 and make good deficiencies, if any. Details regarding the type and scale of fire extinguishers to be provided based on the occupancy and type of buildings is given in the Annexure.
4. Operating department should procure and maintain fire extinguishers at Stations.
5. National Building Code mandates exit requirements capacity of exit, arrangement of exits, number of exits, doorways, corridor & passage ways and staircases at buildings. Zonal Railways should

संरक्षा मान कर न चलें बल्कि उसे संरक्षित करें।

review the existing facilities and ensure that these are in conformity with the prescribed norms.

Letters issued by various directorates and RDSO relating to fire safety are uploaded on Safety Information Management System (SIMS) web page, Zonal Railways should audit the fire preparedness at all stations on the above lines and submit action taken report to Board positively on or before 31.03.2016

Sd/
(P.Srinivas)
Director (Safety-III)
Railway Board

Annexure to No. 2012/Safety(DM)/6/12/2 dated 16.11.2015

Type of Structure	Type of occupancy	Nature of occupancy	Class of Fire	Recommended Scale of Equipment
Passanger terminal with accommodation more than 300 persons	D-3	MH	Class A	Two 9 litre water expelling extinguishers or ABC 5kg/6kg fire extinguisher, for every 200 m ² with minimum of 4 extinguishers per compartment/floor. The extinguisher should be so located as to be available within 15 m radius.
Passanger terminal with accommodation less than 300 persons	D-4	LH	Class A	One 9 litre water expelling extinguishers or ABC 5kg/6kg fire extinguisher, for every 200 m ² or part thereof with minimum of 2 extinguishers per copartment or floor of the building. The extinguisher should be so located as to be available within 15 m radius.
Metro Station	D-7	-	-	Para 64.8 of National building code of India stipulates detailed guidelines.
Offices	E-1	SH	Class A	One 4.5 Kg capacity carbon diosice or one 2/3 kg capacity clean agent extinguisher for every 100 m ² of floor area or part thereof with minimum of two extinguishers so located as to be available with 10 m radius.
Parcel Office and Goods shed	H	MH	Class B	Two 9 litre foam extinguisher, mechanical type, or 5/6 kg dry powder extinguisher (or one of each type) for every 200 m ² are with minumum of four extinguisher per compartment. Extinguisher should be available within 15 m radius.

विविध विषय

5.1 संरक्षा संचेतना दर्शाने वाले कर्मचारियों का सम्मान

इलाहाबाद मण्डल :

इलाहाबाद मण्डल में संरक्षा में सतर्कता से सम्बन्धित उल्लेखनीय कार्य हेतु निम्नलिखित कर्मचारियों को महाप्रबन्धक के द्वारा रु 2000/- से पुरस्कृत किया गया तथा प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया।

1. **श्री पी.के. गुप्ता, लोको पायलट, इलाहाबाद**

दिनांक 13.11.15 को जब ये गाड़ी सं. अप पाटली मालगाड़ी पर कार्यरत थे। इन्होंने अपनी गाड़ी करछना छिवकी के बीच में स्वचालित सिगनल लाल होने के कारण खड़े रहे। इन्होंने देखा कि फिश प्लेट खुली है तथा आगे बढ़ने पर लाइन में डेढ़ इंच का रेल फ्रैक्चर है। तत्काल इसकी रिपोर्ट संबंधित स्टेशन को किया, जहाँ 10 किमी/घंटा का काशन लगाया गया।



2. **श्री राजन कुमार, सहायक लोको पायलट, इलाहाबाद**

दिनांक 13.11.15 को जब ये गाड़ी सं. अप पाटली मालगाड़ी पर कार्यरत थे। इन्होंने अपनी गाड़ी करछना छिवकी के बीच में स्वचालित सिगनल लाल होने के कारण खड़े रहे। इन्होंने देखा कि फिश प्लेट खुली है तथा आगे बढ़ने पर लाइन में डेढ़ इंच का रेल फ्रैक्चर है। तत्काल इसकी रिपोर्ट संबंधित स्टेशन को किया, जहाँ 10 किमी/घंटा का काशन लगाया गया।

3. **श्री अफरोज आलम, हेल्पर/कै.वै./जीएमसी**

दिनांक 03.12.15 को इन्होंने गाड़ी संख्या डाउन बॉक्स जीएमसी यार्ड लाइन नं. 16 में रोलिंग आउट परीक्षण के दौरान ब्रेक से 25 वीं गाड़ी में हावड़ा छोर के पहिये के दो स्टड बोल्ट टूटे हुये देखा जिसकी सूचना कन्ट्रोल को देकर गाड़ी को चकेरी में रुकवाया, जाँच करने पर गर्म धुरा पाया गया एवं चकेरी में काटा गया।



सतर्कता में लापरवाही जीवन के लिए घातक होती है।

4.

श्री नरेश कुमार, हेल्पर/कै.वै./टुण्डला

दिनांक 08.12.15 को श्री नरेश कुमार ने टुण्डला से गुजरने वाली गाड़ी 12569 अप में रोलिंग इन परीक्षण के दौरान इंजन से दूसरे कोच में एक ट्रेसबार कम देखी जिसकी सूचना वरि.खण्ड अभियंता/टुण्डला को दी। अलीगढ़ में ट्रेसबार लगवाया गया।



5.

श्री सर्वेश कुमार, तकनीशियन प्रथम/कै.वै./टुण्डला

दिनांक 09.12.15 को श्री सर्वेश कुमार ने टुण्डला में रोलिंग इन परीक्षण के दौरान गाड़ी सं. 18102 डा. के शयनयान कोच की ट्राली में अपर हैंगर पिन कम पायी और तत्काल इसकी सूचना सर्वसंबंधितों को दी और गाड़ी के ठहराव समय में ही पिन लगा कर रवाना कराया गया।

6.

श्री सुभाष गुप्ता, ईएसएम-II/सूबेदारगंज

दिनांक 23.01.16 को श्री सुभाष गुप्ता ने सूबेदारगंज यार्ड अप मेन लाइन में 8" रेल पीस टूटा देखा तथा स्टेशन मास्टर/सूबेदारगंज को सूचित किया तथा अप मेन लाइन के सिग्नल को लाल कराया गया।



7.

श्री अविनाश कुमार, सहायक लोको पायलट, कानपुर

दिनांक 17.02.2016 को जब ये गाड़ी सं. पी.एम.के.एम. इंजन सं. 23451 + 21117 पर इलाहाबाद-जीएमसी खण्ड में कार्यरत थे। इन्होंने पीछे देखने के दौरान किमी 988/15 पर गाड़ी में गर्म धुरा चिन्हित किया, गाड़ी को 13.15 बजे प्रेमपुर मेन लाइन में रोक कर निरीक्षण किया, वैगन सं. सीआर 981621120649 में गर्म धुरा पाया। उक्त वैगन को 18.00 बजे प्रेमपुर में काटा गया।



गति प्रबंधन का सदैव पालन करें।

इलाहाबाद मण्डल में संरक्षा में सतर्कता से सम्बन्धित उल्लेखनीय कार्य हेतु निम्नलिखित कर्मचारियों को मण्डल रेल प्रबन्धक के द्वारा 1000/- से पुरस्कृत किया गया तथा प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया।

1. दिनांक 13.03.2016 को **श्री विजेन्द्र कुमार**, स्टेशन मास्टर/साम्हो ने मालगाड़ी सं० डाउन ए.टी.एस.एस. में गर्म धुरा चिन्हित किया।
2. दिनांक 28.03.2016 को **श्री वीर सिंह**, गेटमैन-37 सी/इंजी०, शिकोहाबाद ने मालगाड़ी सं० डाउन बीओएसटी में गर्म धुरा चिन्हित किया।
3. दिनांक 30.03.2016 को **श्री महेश बाबू**, केबिनमास्टर/रसूलाबाद ने मालगाड़ी सं० एफ.सी.के. में गर्म धुरा चिन्हित किया।
4. दिनांक 30.03.2016 को **श्री अखिलेश कुमार**, पोर्टर/मितावली ने मालगाड़ी सं० बीएनएच में गर्म धुरा चिन्हित किया।
5. दिनांक 14.02.2016 को **श्री मंगलेश कुमार**, गेटमैन, 59-सी (मालवा-कंसपुर गुगौली) ने मालगाड़ी सं० अप एम.जे.पी.जे. में गर्म धुरा चिन्हित किया।
6. दिनांक 17.02.2016 को **श्री राम खेलावन**, विद्युत चालक/कानपुर ने मालगाड़ी सं० अप पी.एम.के.एम. में गर्म धुरा चिन्हित किया।
7. दिनांक 05.02.2016 को **श्री बृजपाल**, गेटमैन 130-सी (एस. एस. ई./खुर्जा) ने किमी 1371/26 पर डाउन लाइन का ओएचई तार टूटा हुआ देखा तथा आ रही मालगाड़ी को रोक कर सर्वसम्बन्धित को सूचित किया।
8. दिनांक 12.01.2016 को **श्री आर. पी. वर्मा**, स्टेशन मास्टर/चंदेरी ने मालगाड़ी सं० अप एम.आई.जी.के. में गर्म धुरा चिन्हित किया।
9. दिनांक 14.01.2016 को **श्री राम बाबू**, गेट मैन 74/सी (सरसौल-रूमा) ने मालगाड़ी सं० अप जी.एच.टी.एल. में गर्म धुरा चिन्हित किया।
10. दिनांक 16.01.2016 को **श्री एम. के. झा**, स्टेशन मास्टर/रूमा ने मालगाड़ी सं० अप पी.आई.सी. में गर्म धुरा चिन्हित किया।

दुर्घटना होने पर तुरन्त फ्लैशर लाइट ऑन करें।

झाँसी मण्डल :

झाँसी मण्डल में संरक्षा में सतर्कता से सम्बन्धित उल्लेखनीय कार्य हेतु निम्नलिखित कर्मचारी को महाप्रबन्धक के द्वारा रु 2000/- से पुरस्कृत किया गया तथा प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया।

1. **श्री आर. एन.अनुरागी, लोको पायलट/माल**

दिनांक 29.01.16 को श्री आर.एन.अनुरागी ट्रेन सं. आईसीओडी पर झाँसी-आगरा खण्ड के मध्य कार्यरत थे। डाउन मेन लाइन स्टार्टर के पास रेल फ्रैक्चर देखा। इसकी सूचना तुरंत डिप्टी एसएम, बिरलानगर को दी। इंजी. विभाग द्वारा जाँच करने पर ग्लूड ज्वाइंट टूटा पाया, जिसकी मरम्मत की गयी।



2. **श्री जगपाल सिंह यादव पुत्र श्री राकेश कुमार यादव, नागरिक, महोबा-कुलपहाड़**

दिनांक 04.02.2016 को श्री जगपाल सिंह यादव, मकान नं. 68/ख, मोहल्ला-कतवारी, ग्राम कुलपहाड़ में किमी सं. 1245/5-6 पर रेल फ्रैक्चर को देखा और इसकी सूचना कुलपहाड़ स्टेशन मास्टर को तुरन्त दी।



3. **श्री शिव नारायण पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद, नागरिक, ग्राम देवीपुर, तहसील-कालपी, जिला-जालौन**

दिनांक 24.02.2016 को श्री शिव नारायण ने देखा कि किमी 1269/24-26 के बीच कालपी-आटा खण्ड के मध्य रेल टूटी है। वह गेट सं0 194 जोल्हुपर के गेटमैन मुरलियां पास दौड़कर पहुँचा और रेल फ्रैक्चर की सूचना दी, तभी गेटमैन मुरलियां ने स्टेशन मास्टर कालपी को फोन द्वारा सूचना दी।



झाँसी मण्डल में संरक्षा में सतर्कता से सम्बन्धित उल्लेखनीय कार्य हेतु निम्नलिखित कर्मचारियों को मण्डल रेल प्रबन्धक के द्वारा 250/- से पुरस्कृत किया गया तथा प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया।

1. **श्री अमित कपूर, लोको पायलट/झाँसी** ने झाँसी-बीना खण्ड पर लटकते हैण्ड ब्रेक को डिटेक्ट किया।

सदैव सतर्क रहें और दुर्घटना से बचें।

2. **श्री चेतन साहू**, सहायक लोको पायलट/झाँसी ने झाँसी-बीना खण्ड पर लटकते हैण्ड ब्रेक को डिटेक्ट किया।
3. **श्री बी. के. सेन**, लोको पायलट/झाँसी ने असामान्य दुर्घटना को रोक कर सम्भावित दुर्घटना को रोका।
4. **श्री अजय साहू**, लोको पायलट/झाँसी ने असामान्य दुर्घटना को रोक कर सम्भावित दुर्घटना को रोका।
5. **श्री अरविन्द कुमार**, सहायक लोको पायलट/झाँसी ने असामान्य दुर्घटना को रोक कर सम्भावित दुर्घटना को रोका।

आगरा मण्डल :

आगरा मण्डल में संरक्षा में सतर्कता से सम्बन्धित उल्लेखनीय कार्य हेतु निम्नलिखित कर्मचारी को महाप्रबन्धक के द्वारा रु 2000/- से पुरस्कृत किया गया तथा प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया।

1. **श्री देशराज शर्मा**, लोको पायलट/पैसे./आगरा दिनांक 13.12.15 को पलवल-आगरा खण्ड में गाड़ी सं. 18238 पर कार्यरत थे। मथुरा-बाद खण्ड में ऑटोमैटिक सिगनल लाल मिलने पर जब गाड़ी प्रतिबन्धित गति से चल रही थी तब इन्होंने आगे पटरी को टूटा हुआ देखा। रेल पथ स्टाफ द्वारा जाँच के बाद यहाँ 30 किमी/घंटा का कॉशन आर्डर लगाया गया।



2. **श्री अनिल कुमार मीना**, सहा. लोको पायलट, आगरा कैंट

दिनांक 16.01.2016 को नई दिल्ली-झाँसी खण्ड में गाड़ी सं. 22686 चंडीगढ़-यशवंतपुर संपर्क क्रान्ति एक्सप्रेस पर कार्यरत थे। जब गाड़ी फराह-कीथम स्टेशनों के बीच अपनी पूरी रफ्तार से चल रही थी तो इन्होंने पहले किमी 1375/13-11 पर 30 के.एम.पी.एच. कॉशन आर्डर के बोर्ड देखे तथा आगे चलकर किमी 1371/19-17 पर 20 के.एम.पी.एच. कॉशन आर्डर के बोर्ड देखे जबकि इन्हें नई



हर दिन संरक्षा का दिन है।

दिल्ली से प्राप्त कॉशन आर्डर सं. 203767 में इस खण्ड में कोई कॉशन नहीं लिखा गया था। इंजी. बोर्ड को देखकर संभावित दुर्घटना को भाँपकर त्वरित कार्यवाही करते हुये इन्होंने तुरन्त गाड़ी को कन्ट्रोल किया और कॉशन आर्डर वाले स्थान पर गाड़ी को प्रतिबंधित गति से पास कराने में सफल हुए।

3. **श्री श्रीकान्त पटेल, सहायक लोको पायलट, आगरा कैंट**

दिनांक 14.03.16 को आगरा-तुगलकाबाद खण्ड में गाड़ी सं. आई.सी.डी.ए. लोको सं. 27655 पर कार्यरत थे। फराह-बाद खण्ड में बाद के लाल होम सिगनल पर गाड़ी खड़ी करने के लिए जब इनके द्वारा गाड़ी कंट्रोल की जा रही थी तब इन्होंने अपनी लाइन के किमी 1384/10-12 पर पटरी को टूटा हुआ देखा जिसमें लगभग 35 मि.मी. का गैप था। संभावित दुर्घटना को भाँपकर इन्होंने धैर्य रखकर त्वरित कार्यवाही करते हुए आपात्कालीन ब्रेक का प्रयोग किया और गाड़ी को टूटी रेल के पास खड़ी करने में सफल हुए।



4. **श्री मृत्युंजय कुमार, लोको पायलट, आगरा कैंट**

दिनांक 03.03.2016 को आगरा-तुगलकाबाद खण्ड में गाड़ी सं. रूप नगर स्पे./लोको सं. 2398421136 पर कार्यरत थे। जब गाड़ी 17.29 बजे राजा की मंडी स्टेशन के होम सिगनल पर पहुँच रही थी तब इन्होंने देखा कि होम सिगनल को ब्रान्च लाइन के लिए (टूण्डला की ओर जाने के लिए) ऑफ किया गया है जबकि इस गाड़ी को मथुरा जंक्शन की ओर जाना था। यह देखकर इन्होंने सिगनल के आदेश का पालन नहीं किया, वरन् गाड़ी को होम सिगनल पर खड़ी किया।



5. **श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सहायक लोको पायलट, आगरा कैंट**

दिनांक 03.03.2016 को आगरा-तुगलकाबाद खण्ड में गाड़ी सं. रूप नगर स्पे./लोको सं. 23984 + 21136 पर कार्यरत थे। जब गाड़ी 17.29 बजे राजा की मंडी स्टेशन के होम सिगनल पर पहुँच रही थी तब इन्होंने देखा कि होम सिगनल को ब्रान्च लाइन के लिए (टूण्डला की ओर जाने के लिए) ऑफ किया गया है जबकि इस गाड़ी को मथुरा



जरा-सी सावधानी, संरक्षा के लिए उत्तम है।

जंक्शन की ओर जाना था। यह देखकर इन्होंने सिगनल के आदेश का पालन नहीं किया, वरन् गाड़ी को होम सिगनल पर खड़ी किया।

6. **श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा, लोको पायलट/माल, आगरा कैंट**

दिनांक 01.01.2016 को पलवल-मथुरा जंक्शन खण्ड में गाड़ी सं. एस.एस. स्पेशल, लोको सं. 31105 पर कार्यरत थे। मथुरा जंक्शन होम सिगनल ऑफ मिलने पर जब गाड़ी मथुरा यार्ड में लाइन नं. 4 में प्रवेश कर रही थी तब इन्होंने अपनी लाइन पर लोड को खड़े देखा। लाइन को अवरोधित होने के कारण संभावित टक्कर को भाँपकर इन्होंने धैर्य रखकर त्वरित कार्यवाही करते हुए आपात्कालीन ब्रेक का प्रयोग किया और गाड़ी को अवरोध से पहले खड़ी करने में सफल हुए।



7. **श्री धनंजय कुमार, सहायक लोको पायलट, आगरा कैंट**

दिनांक 01.01.2016 को पलवल-मथुरा जंक्शन खण्ड में गाड़ी सं. एस.एस. स्पेशल, लोको सं. 31105 पर कार्यरत थे। मथुरा जंक्शन होम सिगनल ऑफ मिलने पर जब गाड़ी मथुरा यार्ड में लाइन नं. 4 में प्रवेश कर रही थी तब इन्होंने अपनी लाइन पर लोड को खड़े देखा। लाइन को अवरोधित होने के कारण संभावित टक्कर को भाँपकर इन्होंने धैर्य रखकर त्वरित कार्यवाही करते हुए आपात्कालीन ब्रेक का प्रयोग किया और गाड़ी को अवरोध से पहले खड़ी करने में सफल हुए।



8. **श्री राम प्रकाश सिंह, लोको पायलट, आगरा कैंट**

दिनांक 14.03.16 को आगरा-तुगलकाबाद खण्ड में गाड़ी सं. आई.सी.डी.ए. लोको सं. 27655 पर कार्यरत थे। फराह-बाद खण्ड में बाद के लाल होम सिगनल पर गाड़ी खड़ी करने के लिए जब इनके द्वारा गाड़ी कंट्रोल की जा रही थी तब इन्होंने अपनी लाइन के किमी 1384/10-12 पर पटरी को टूटा हुआ देखा जिसमें लगभग 35 मि.मी. का गैप था। संभावित दुर्घटना को भाँपकर इन्होंने धैर्य रखकर त्वरित कार्यवाही करते हुए आपात्कालीन ब्रेक का प्रयोग किया और गाड़ी को टूटी रेल के पास खड़ी करने में सफल हुए।



भाग्य पर निर्भर न रहें, बल्कि संरक्षा में विश्वास रखें।

5.2 ट्रैक पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए क्या करें या क्या न करें

क्या करें

- (1) जब रनिंग ट्रैक पर कार्य रहे हो तो अपनी-अपनी सुरक्षा प्रथम सुनिश्चित करें।
- (2) गोष्म/सर्दी के मौसम में एल. डब्लू. आर. नियमावली में दिये गये अनुबन्ध के अनुसार कार्य करें।
- (3) ट्रेन आने के समय कर्मचारी ट्रैक के किनारे पर चले जाये, न कि बगल के ट्रैक पर।
- (4) मेट, की मैन, ट्रैक मैन ट्रैक पर कार्य करते समय उचित वर्दी धारण करें जिससे लोको पाइलट को लम्बी दूरी से दिखाई दें।
- (5) की.मैन व पेट्रोलिंग मैन को ट्रेन की आने वाली ही दिशा में कार्य करते हुए आगे बढ़ना चाहिए।
- (6) रात्रि के समय या खराब मौसम में जब दृश्यता खराब हो तो ट्रैक मैन को ल्युमिनियस जैकट पहनना चाहिए।
- (7) ट्राली का संचालन परिचालन विभाग की जानकारी में करना चाहिए और वॉकी-टॉकी का प्रयोग करते रहें।
- (8) ट्राली की सक्षमता प्रमाणपत्र का नवीनकरण प्रत्येक वर्ष जरूर होना चाहिए।
- (9) खराब दृश्यता के समय मरम्मत कार्य से बचना चाहिए।
- (10) कर्व में प्रतिबन्धित दृश्यता के समय आगे देखने के लिए अतिरिक्त ट्रैक मैन भेजे।
- (11) जब ट्रैक मशीन, डी.एम.टी. व यू.एस.एफ.डी. कार्य कर रही हो तो बगल वाली लाइन के लिए सतर्कता आदेश जारी करे।
- (12) फिशप्लेट की ग्रीसिंग शीत ऋतु के पहले करवायें।
- (13) शीत ऋतु की पेट्रोलिंग जब तापमान -30°C हो तो शुरू करवा देनी चाहिए।

भाग्य पर निर्भर न रहें बल्कि संरक्षा में विश्वास रखें।

- (14) ट्रैक के किनारे ट्राली खड़ी करने की जगह उचित दूरी पर हो।
- (15) पेट्रोल मैन रेल/वेल्ड विफलता की सतर्कता से जाँच करे।
- (16) पेट्रोलमैन अपने वीट में एस.ई. जे. की जाँच करें व कमी पाये जाने पर अपने खण्ड अभियन्ता (पी.वे) को सूचित करे।

क्या न करे-

- (1) जब तापमान $+10^{\circ}\text{C}$ से ज्यादा हो तो ट्रैक उठाने का कार्य न करें।
- (2) ट्रैक मैन के द्वारा शार्ट कट पद्धति न अपनायी जाये।
- (3) जब ट्रैक मशीन कार्य कर रही हो, तो ट्रैक मैन बगल वाली लाइन पर न जायें।
- (4) मोबाइल फोन का प्रयोग न करें।
- (5) ट्रैक के पास बनी नाली का ध्यान रखें।
- (6) ग्रीष्म ऋतु में एल.डब्लू.आर. ट्रैक में 30 स्लीपरों को एक साथ न खोलें।

5.3 आपातकालीन स्थितियों के लिए आवश्यक मार्गदर्शन

(क) कोच में आग लगने पर :-

1. आग लगने पर खतरे की जंजीर खींच कर तुरन्त गाड़ी रोकिए।
2. सेक्शन कंट्रोल/समीप के स्टेशन मास्टर के माध्यम से यथाशीघ्र फायर ब्रिगेड बुलाएँ।
3. आग की लपटों को बढ़ने से पहले अग्निशामकों, पानी, कंबल, इत्यादि का प्रयोग करके आग बुझाने का प्रयास करें।
4. यह ध्यान रखे, वास्तव में आग से जलने से ही नहीं बल्कि उससे उठने वाले धुएँ की घुटन से भी बहुत लोग मारे जाते हैं।
5. यात्रियों को सलाह दें कि पानी से कपड़ा गीला करके उससे अपनी नाक ढक ले।
6. यात्रियों को निर्देश दें कि कोच के दूसरे सिरे, जिस तरफ आग नहीं है, वहाँ जाएँ और यदि संभव हो तो वेस्टिबुल से दूसरे कोच में चले जाएँ।
7. यात्रियों से कहे कि वे सर्वप्रथम अपने आपको बचाएँ तथा समान के

समय मूल्यवान है, परन्तु सुरक्षा बहुमूल्य है।

बारे में चिंतित न हों क्योंकि सामान तो बाद में भी प्राप्त किया जा सकता है।

8. सुनिश्चित करें कि फर्श पर कोई यात्री पड़ा तो नहीं है।
9. गाड़ी रुकने के बाद यात्रियों को तुरन्त कोच से नीचे उतारा जाए।
10. घायल यात्रियों को उचित सलाह देकर उनमें विश्वास पैदा करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
11. यदि आग के फैलने का खतरा हो तो आग वाले कोचों को गाड़ी से अलग किया जाए जिससे कि गाड़ी के अन्य कोचों में आग न फैल सके।

(ख) बम धमकी/फटना :-

बम धमकी/फटने की सूचना पाने वाले व्यक्ति के कार्य:-

1. जहाँ तक संभव हो सूचना देने वाले से बम किस रूप में रखा गया है, उसमें क्या समय सेट है, स्थान, इस कार्यवाही का कारण/प्रयोजन, सूचना देने वाले की बोली, व्यवहार एवं उसकी पहचान से सम्बन्धित अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें।
2. समीप के स्टेशन मास्टर तथा कंट्रोल के माध्यम से जी.आर.पी. रेलवे सुरक्षा बल, बम खोजी दस्ता, पुलिस तथा अग्निशमन दल को सूचित किया जाए और उन्हें सतर्क किया जाए।
3. गाड़ी को प्लेटफार्म लाइनों तथा अन्य स्टॉक से दूर, आने वाले नजदीकी स्टेशन पर रोका जाए। सभी यात्रियों को उतारकर गाड़ी से दूर किया जाए।
4. बम जैसी वस्तु देखने वाले व्यक्ति को इसकी सूचना नजदीक में उपलब्ध अधिकारी को देनी चाहिए।
5. सभी व्यक्तियों को आग के स्थान से दूर करना सुनिश्चित किया जाए ताकि उस स्थान के आस-पास अनावश्यक भीड़ न हों।

संरक्षा का मतलब हमेशा सतर्क।

6. गाड़ी सेवाओं को नियंत्रित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कंट्रोल को सूचित किया जाए।
7. सामान्य संचालन बहाल करने के लिए पुलिस विभाग की क्लियरेंस की प्रतीक्षा की जाए।

(ग) बाढ़ :-

मौसम विभाग से बाढ़ आने की चेतावनी मिलने पर निम्नलिखित उपाय किये जाएँ

1. बाढ़ कम होने तक गाड़ी सेवा नियंत्रित की जाए।
2. गाड़ी/स्टेशन से यात्रियों को हटाकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेजा जाये।
3. अग्निशमन दल, नौसेना, वायु सेना, स्थानीय नाविकों से संपर्क किया जाए और गोताखोरों तथा नाविकों की व्यवस्था की जाए।
4. यदि आवश्यक हो तो प्रभावित लोगों को अस्थाई रूप से रहने के लिए कोचों की व्यवस्था की जाए।
5. स्वैच्छिक संगठनों से सहायता करने का अनुरोध किया जाये और पीने के पानी, खाद्य पदार्थ, दवाएँ इत्यादि की व्यवस्था की जाए।
6. रेलवे सुरक्षा बल तथा राजकीय रेलवे पुलिस की सहायता से यात्रियों एवं उनके सामान की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए।
7. लगातार मण्डल नियंत्रण कार्यालय के संपर्क बनाए रखा जाए।
8. जब लोग बाढ़ से घिरकर असहाय हो जाएँ तो सिविल प्रशासन की सहायता से खाद्य पदार्थ के पैकेट, कपड़े, दवाइयाँ तथा आवश्यक वस्तुएँ हवाई जहाज से गिराने की व्यवस्था की जाए।

(घ) भूकम्प :-

- 1 भूकम्प के दौरान पहला कंपन महसूस हो तो तुरन्त गाड़ी रोक दी जाए।
2. गाड़ी के बाहर न निकलने के लिए सभी यात्रियों को सावधान किया जाए।

हमेशा सतर्कता ही सुरक्षा का मूल मंत्र है।

3. आपात्कालीन बिजली बंदी की घोषणा कर दी जाए।
4. आपात्कालीन योजना चलायी जाए।
5. कंपन समाप्त हो जाने के बाद यातायात संचालन के लिए रेलपथ को सुरक्षित कर दिए जाने के बाद ही गाड़ियों को चलाया जाए।

(ड) तूफान/तेज आँधी :-

तूफान/तेज आँधी के दौरान गाड़ियों के संचालन में बरती जाने वाली सावधानियाँ :-

1. जब मौसम विभाग से चक्रवात, तूफान या तेज हवा की पूर्व सूचना देते हुए चेतावनी संदेश प्राप्त हो और/या इस बात की समुचित आशंका हो कि तेज तूफान आने वाला है जिससे यात्रियों, गाड़ियों आदि की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है तो स्टेशन मास्टर गाड़ी के गार्ड और लोको पायलट से परामर्श कर गाड़ी को रोक देगा और किसी भी गाड़ी को तब तक लाइन क्लीयर नहीं देगा जब तक तूफान थम न जाये और व गाड़ियों के संचालन को निरापद समझें।
2. यदि कोई चलती हुई गाड़ी ऐसे चक्रवात, तूफान या तेज हवा में फँस जाये जिसकी गति लोको पायलट की राय में इतनी तेज हो कि उससे गाड़ी की संरक्षा खतरे में पड़ सकती है तो वह अपनी गाड़ी की गति को तत्काल नियंत्रित करे और गाड़ी को प्रथम सुविधाजनक स्थान पर रोक देगा तथा यथासंभव यह ध्यान रखे कि गाड़ी तीव्र मोड़, ऊँचे तटबंध और पुल (इसमें उसके पहुँच मार्ग शामिल है) पर न रोकੀ जाए तथा गति को नियंत्रित करते समय और गाड़ी को रोकते समय लोको पायलट अपनी गाड़ी बड़ी सावधानी से और बिना झटके के रोके। वह गाड़ी को गार्ड के परामर्श से तभी पुनः चलाये जब चक्रवात, तूफान या तेज हवा थम जाए और आगे बढ़ना निरापद समझे।
3. गार्ड तथा लोको पायलट गाड़ी में यात्रा कर रहे रेल कर्मचारियों के

ड्यूटी पर जाने से पहले पूर्ण विश्राम करें।

सहयोग से यह देखने का प्रयास करेंगे कि यात्रियों द्वारा सवारी डिब्बों की खिड़कियाँ और दरवाजे खुले रखे जाते हैं ताकि उनसे होकर तेज हवा निर्बाध रूप से गुजर सके।

- गाड़ी के लोको पायलट को धूल के एकत्रित होने की जानकारी होने पर वह ऐसी प्रतिबंधित गति से चले कि वह रेल के बगल में एकत्रित धूल की स्थिति जान सके। यदि कोई असुरक्षित स्थिति मिले तो वह अगले स्टेशन को सूचित करे।

5.4 क्या करें या क्या न करे- (स.एवं दूरसंचार कर्मचारी)

क्या करें

पैनल

- (1) सुनिश्चित करें कि ई.डब्ल्यू.एन. और ई.यू.वाई.एन के बटन उचित तरह हैं। दोनों बटन सही कार्य कर रहे हैं और इन का प्रयोग किये जाने पर उसकी रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी चाहिए।
- (2) सुनिश्चित करें कि सभी काउन्टर कार्यरत हैं और उसकी प्रविष्टि कारण सहित रजिस्टर में दर्ज है।
- (3) सुनिश्चित करें कि एस.आई. की और ई.यू.वाई.एन. बटन से सब कट कर रद्द परिचालन के प्राप्त होने के बाद किया गया और पूर्व रूट की स्थिति का सत्यापन कर लिया गया।
- (4) सुनिश्चित करें कि क्रैंक हैंडिल का बाक्स सील्ड है और रजिस्टर में सभी प्रविष्टि दर्ज है।
- (5) सुनिश्चित करें सभी इण्डीकेटर (रूट, पाइन्ट, ट्रैक, सिगनल इत्यादि पैनल पर जल रहे हैं।
- (6) सुनिश्चित करें कि सिगनल, प्वाइन्ट और कार्य विफलता इन्डीकेटर के सुनने वाले व देखने वाले इण्डीकेटर सही दिखा रहे हैं।

हर कीमत पर दुर्घटना को बचायें।

रिले रूम :

- (1) सुनिश्चित करें कि रिले रूम डबल लॉक है, जिसमें एक. एस. एण्ड टी. व दूसरा परिचालन का ताला हो। जब रिले रूम खोला जाये तो रजिस्टर में इसकी एंट्री हो कि रिले रूम मरम्मत या विफलता के लिए खोला गया।
- (2) सुनिश्चित करें कि सिगलन, प्वाइंट, रूट ग्रुप, मिनी ग्रुप एवम् अन्य रिले सील हैं।
- (3) सुनिश्चित करें कि सर्किट की जाँच, रिले ग्रुप को बदलना इत्यादि कार्य बिना परिचालन विभाग के द्वारा संयोजन में मेमों को स्वीकार करने के पश्चात् किया जा रहा है।
- (4) ट्रैक रिले का वोल्टेज नियमित जाँच करें।
- (5) पैनल विभिन्न रूटों के लॉकिंग की जाँच माह में एक बार उसे रजिस्टर में दर्ज करें।

क्या न करें

- (1) रिले रूम को खोलने से पहले एस एण्ड टी कन्ट्रोल से प्रा.न. का आदान प्रदान करने पश्चात् रजिस्टर में कारण सहित हस्ताक्षर करने के बाद खोलें।
- (2) किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति से सब रूट रद्द न करवायें।
- (3) किसी भी सिगनलिंग गियर को बिना वियोजन मेमो के छेड़छाड़ न करें।
- (4) आटो चेंज ओवर की आपूर्ति प्रबन्ध और आपरेट प्रोग्रामर स्विचों की जाँच तब तक न करें जब गाड़ी सेक्शन में हों।
- (5) विभिन्न रिले ग्रुप के सील को न खोलें न ही उनके संपर्क से छेड़छाड़ करें या उनके आरमेचर को हटायें।
- (6) टैग ब्लाक केबिल टर्मिनेशन के बीच की वायरिंग से छेड़छाड़ न करें।
- (7) ड्राई सोल्डर व खुले तारों को न छोड़ें।
- (8) सब रूट को एस.आई.-की और ई.यू.वाई.एन. बटन से बिना जाँच किये रद्द न करवायें जब ट्रेन सेक्शन में हो।
- (9) ई.यू.वाई. एन बटन के साथ एस.आई.-की से तब तक सब रूट को रद्द न करें जब तक स्टे.मा. से अनुमति न मिल जाये।

नियमों का कड़ाई से पालन करें।

क्या करें?

1. गाड़ी का रोलिंग इन और रोलिंग आउट अवश्य करें।
2. गाड़ी रुकने के तुरन्त बाद एक्सल बाक्सों को हाथ से छूकर परीक्षण अवश्य करें।
3. गाड़ी के सभी ब्रेक सिलेंडरों को हाथ से रिलीज करें तथा डिफेक्टिव सिलेंडरों की मरम्मत करें।
4. गाड़ी के सभी पुर्जों जैसे पहियों, स्प्रिंग, ब्रेक, गियर, ड्रा गियर, बफिंग गियर आदि की जाँच करें तथा खराबी पाये जाने पर मरम्मत करें।
5. गाड़ी में वैक्यूम/वायु दबाव की मात्रा की जाँच करें तथा गाड़ी के सभी ब्रेक सिलेंडर कार्यरत होने चाहिए।
6. गाड़ी के ब्रेक सिलेंडरों की कार्य प्रणाली की जाँच करें तथा गाड़ी के सभी ब्रेक सिलेंडर कार्यरत होने चाहिए।
7. गाड़ी के सभी ब्रेक सिलेंडर समान रूप से रिलीज करने पर रिलीज होने चाहिए तथा बीच-बीच में रुकने नहीं चाहिए।
8. गाड़ी के ब्रेक सिलेंडर रिलीज होने के बाद ब्रेक ब्लॉक पहिये से ढीले होने चाहिए।
9. ब्रेक सिलेंडरों का पिस्टन स्ट्रोक निर्धारित सीमा में रखें।
10. सभी गाड़ियों को वैक्यूम एक्जास्टर/एयर कंप्रेसर यंत्र की सहायता से लीकेज तथा ब्रेक पावर की जाँच करें।
11. यात्री गाड़ी में इमरजेंसी अलार्म चैन को खींच कर जाँच अवश्य करें तथा रिसेटिंग प्रणाली की जाँच करें।
12. यात्री गाड़ियों में यात्रियों की सुविधा के लिए निर्धारित समान की जाँच अवश्य करें तथा कमी पाये जाने पर पूर्ति करें।
13. पिट लाइन पर सवारी गाड़ी का परीक्षण तथा मेन्टीनेंस निर्धारित गुणवत्ता सहित होना चाहिए।

हर दिन संरक्षा का दिन है।

14. मालगाड़ियों में एम्प्टी लोड डिवाईस की स्थिति अवश्य सुनिश्चित करें।
15. मालगाड़ियों के दरवाजे आसानी से खुलना तथा बन्द होना सुनिश्चित करें।
16. गाड़ियों के आगे तथा पीछे भाग के चार-चार डिब्बों के ब्रेक सिलेंडर क्रियाशील स्थिति में होना चाहिए।
17. पी.ओ.एल. मालडिब्बों में मैन होल का कवर बंद होना चाहिए तथा तेल मैन होल से छलक कर वैगन बॉडी पर नहीं फैलना चाहिए।

क्या न करें?

1. गाड़ियों में खराब ब्रेक एडजस्टर तथा डीवी की अनुमति न दें।
2. पी.ओ.एच. तथा ओवरड्यू रिपैकिंग गाड़ियों को सर्विस में चलने की अनुमति न दें।
3. तेल टंकियों से रिसाव होने पर चलने की अनुमति न दें।
4. गैस वाली टंकियों के आसपास अग्नि की उपलब्धता नहीं होनी चाहिए।
5. गाड़ियों के पहियों में निर्धारित सीमा से अधिक फ्लैट टायर को चलाने की अनुमति न दें।
6. मालगाड़ियों के दरवाजे खुली स्थिति में चलने की अनुमति न दें।
7. गाड़ी में सेफ्टी ब्रेकिट्स की कमी पायी जाने पर गाड़ी की अनुमति न दें।
8. एस.एल.आर./एल.आर. के गार्ड कम्पार्टमेंट दरवाजे की खुली स्थिति में अनुमति न दें।
9. गाड़ी में बफर हाइट निर्धारित सीमा से कम होने पर गाड़ी को चलने की अनुमति न दें।
10. सवारी गाड़ी में पानी की टंकी लीक हो, तो गाड़ी को सर्विस में न दें।

समपार पर आने से पहले नियमानुसार सीटी अवश्य बजायें।

5.6 Footplate Inspection - Check List

I. Reference :

1. Division :
2. Section :
 - (i) Name :
 - (ii) Multiple/Double/Single line :
 - (iii) Electrified/Non-electrified :
 - (iv) Type of signaling :
3. (i) Station from : (ii) Station to :
4. (i) Dep. date : (ii) Arr. date :
5. (i) Schedule dep. : (iv) Schedule Arr.
(ii) Actual dep. : (v) Actual Arr.
(iii) Late : (vi) Late :
6. Weather :
7. Visibility :
8. Any other remarks :

II. Incognito observations :

1. Loco Pilot arrives 30" before scheduled departure of train :
2. Check all papers/memos etc. :
3. Synchronizes his watch :
4. Checks his locomotive :
5. Any other shortcomings noticed :
6. Any other remarks :

III. Particulars of train :

1. Name : 2. Number :
3. From : 4. To :
5. Load : 6. Tonnes :
7. Vaccum braked/Air braked :
8. details : MV-5
 - (i) Number : (ii) Issued by :
 - (iii) Vaccum/Air pressure in train engine :
 - (a) Brake pipe :
 - (b) Train pipe
 - (iv) Vaccum/Air pressure in brake van :
 - (a) Brake pipe :
 - (b) Train pipe
 - (v) Same as being actually shown :

निर्धारित विधिपूर्व काम करें, शार्टकट खतरनाक होता है।

- (vi) Total no. of cylinders :
- (vii) No. of effectively cylinders :
- (viii) Brake power %
- 9. Front SLR available
- 10. Any other shortcomings noticed :
- 11. Any other remarks :

IV. Particulars of Loco Pilot

- 1. Name :
- 2. Grade :
- 3. Headquarters :
- 4. Bio-data card available :
- 5. Date of Birth :
- 6. Date of appointment :
- 7. Goods Loco pilot passed :
- 8. Passenger Loco pilot passed :
- 9. Mail Loco pilot passed :
- 10. Bio-data/health card available :
- 11. P.M.E.
 - (i) Last done : (ii) Next due on :
 - (iii) With spectacles :
- 12. Technical refresher course attended :
- 13. ZRTI referesher course attended :
- 14. Ghat Section competency available :
- 15. Automatic signalling competency available :
- 16. Whether in uniform :
- 17. General appearance and turnout :
- 18. Signing of time :
- 19. Pre-departure detention :
- 20. Crew run :
 - (i) From : (ii) To :
- 21. Breathalyser test done before signing on :
- 22. Name of nominated LI :
- 23. Date of last counseling by LI :
- 24. Grading of Loco Pilot :

हर कीमत पर दुर्घटना को बचायें।

- (i) Grading card available No. :
- (ii) Grade :
- (iii) Date of grading :
- (iv) Whether over due for refresher if grade is 'C' :

26. Equipment :

- (i) G & SR with latest correction slips :
- (ii) WTT :
 - (a) Own division :
 - (b) Other divisions whether driver has to work :
- (iii) Rough journal :
- (iv) Spare pair of spectacles :
- (v) 1 Wrist watch :
- (vi) Hand signal lap with tri-colour reflectors :
- (vii) 2 Red flags :
- (viii) 1 Green flag :
- (ix) 1 Torch :
- (x) Detonators :
 - (a) One tin having 10 detonators :
 - (b) Year of manufacture :
- (xi) 1 Fusee :
- (xii) 1 hosepipe and washer :
- (xiii) Tool box with standard tools :

27. Any other shortcomings noticed :

28. Any other remarks :

V. Particulars of Astt. Loco Pilot :

- 1. Name :
- 2. Grade :
- 3. Headquarters :
- 4. Bio-data/health card available :
- 5. P.M.E. :
 - (i) Last done :
 - (ii) Next due on :
 - (iii) With spectacles :
- 6. Technical refresher course attended :

भाग्य पर निर्भर न रहें बल्कि संरक्षा में विश्वास रखें।

7. ZRTI refresher course attended :
8. Ghat section competency available :
9. Automatic Signaling competency available :
10. Whether in uniform :
11. General appearance and turnout :
12. Equipment :
 - (i) Hand signal lamp with tri-colour reflectors :
 - (ii) 2 Red flags :
 - (iii) 1 Green flag :
13. Any other shortcomings noticed :
14. Any other remarks :

VI. Particulars of diesel locomotive :

1. Number :
2. Class :
3. Home shed :
4. Shorthood/longhood leading :
5. Head light :
 - (i) Front Headlight Focussing :
 - (ii) Rear Headlight Working
6. Dimmer switch :
7. Marker light :
8. Emergency flasher light :
 - (i) Front :
 - (ii) Rear :
9. Electric speedometer :
10. Mechanical speedometer :
11. Any difference between the two readings :
12. Speed recorder :
13. Air flow Indicator :
14. Schedules :
 - (i) Whether running overdue schedule :
 - (ii) Last trip schedule done on :
 - (iii) Next schedule due on :
15. Log book provided :
16. Repair logged by Loco Pilot rectified or not :
17. A-9, SA-9 working :

ट्रेन संचालन के दौरान, अपना मोबाइल स्विच ऑफ़ रखें।

18. ABD valve working :
19. All relay contacts found in sealed condition :
20. HT compartment locked :
21. Any other shortcomings noticed :
22. Any other remarks :

VII. Particulars of electric locomotive :

1. Number :
2. Class :
3. Home shed :
4. Head light :
 - (i) Front headlight focussing :
 - (ii) Rear headlight focussing :
5. Dimmer switch :
6. Marker light :
7. Emergency flasher light :
 - (i) Front :
 - (ii) Rear :
8. Electric speedometer :
13. Schedules :
 - (i) Whether running overdue schedule :
 - (ii) Last schedule done on :
 - (iii) Next schedule due on :
14. Log book provided or not :
15. Repairs logged by driver rectified or not :

VIII. Caution Order : T/409

1. Written legibly :
2. In chronological order :
3. Correct entries made regarding the following :
 - (i) Caution Order No. :
 - (ii) Train No. :
 - (iii) Date :
 - (iv) Time :
 - (v) Location in between stations names in full :
 - (vi) Kms.:

सुरक्षा का अंत ही दुर्घटना का प्रारम्भ है।

- (vii) Nature of restriction :
- (viii) Cause of restriction :
- (ix) Protected by :
- (x) Station name stamped :
- (xi) ASM signs in full :

IX. Authority to pass signal at danger-T/369(3b) :

1. Station :
2. Number :
3. Signal :
4. Written legibly :
5. Correct entries made regarding the following :
 - (i) Train No.
 - (ii) Date :
 - (iii) Time :
 - (iv) Private No.:
 - (v) Station named stamped :
 - (vi) SM signs in full :
6. Any other shortcomings noticed :
7. Any other remarks :

X. Performance of Loco Pilot :

1. Reg flag/Tri colour torch available for immediate use :
2. Checks vaccum brake certificate and personally signs :
3. Checks caution order carefully and personally signs:
4. Checks authority to proceed personally :
5. Keeps in touch with guard through walkie-talkie :
6. Whistles beforre starting his train :
7. Exchanges proceed signal with guard :
 - (i) Before starting :
 - (ii) After leaving the station :
 - (iii) After passing a station run through :
 - (iv) After passing temporary ER :
 - (v) While passing on curves :
 - (vi) After waiting 1'2' by day/night in automatic signaling :
8. Starts and stops without jerk :

लघु विधियों से बचे वे घातक हैं।

9. Tests brake power after start :
10. Whistling under following conditions :
 - (i) Before starting his train :
 - (ii) After leaving the station :
 - (iii) While passing run through in front of station :
 - (iv) At W and W/L boards :
 - (v) While approaching a level crossing :
 - (vi) While approaching a bridge :
 - (vii) While approaching a sharp curve :
 - (viii) While approaching a tunnel :
 - (ix) To acknowledge patrolman's signal :
 - (x) To exchange signal with Loco pilot of a passing train :
11. Exchange alright signal under the following conditions :
 - (i) Before starting :
 - (ii) After leaving the station :
 - (iii) With ASM :
 - (iv) With Cabinman/Smithman :
 - (v) With P-Way staff at site of temporary ER :
 - (vi) With Loco Pilot of a passing train :
12. Observance of speed restrictions enroute :
13. Speed over facing points :
14. Dims his headlight as per rules :
15. Switches off headlight during :
 - (i) Crossing :
 - (ii) For better visibility of signal
16. Regulates speed so as not to loose time or over speed :
17. Looks back after passing station to see whether anybody wants to draw his attention :
18. Looks back after on curves to see whether full train is coming :
19. Contents of latest correction slips :
20. Action to be taken for ACP/HPD cases :
21. Action to be taken during out of course stoppage :
22. Method of using detonators and thier life :

गलत निर्णय विनाश का कारण बन सकता है।

XI. Performance of Astd. Loco Pilot :

1. Keep red flag outside for immediate use :
2. Checks vacuum brake certificate :
3. Checks caution order carefully :
4. Checks authority to proceed personally :
5. Whistles before starting his train :
6. Exchanges proceed signal with guard :
7. Looks back after passing station to see whether anybody wants to draw his attention :
8. Looks back after passing level crossing to see whether anybody wants to draw his attention :
18. Looks back after on curves to see whether full train is coming
19. Examines his loco during stoppages of > 15 mins. :
20. Examines his train during stoppages of > 30 mins. :
21. Any other shortcomings noticed :
22. Any other remarks :

XII. Performance of station staff :

1. Proceed signal given by station staff :
2. Whether station staff present in uniform :
3. Staff has red flag/hand signal lamp when approaching :
4. Complete arrival book brought for signature :
5. Adequate labour available for loading/unloading :
6. Departure bell rung in time :
7. Drinking water made available to guard :
8. Position of stock stabled in sidings :
9. Any other shortcomings noticed :
10. Any other remarks :

XIII. Staff grievances :

1. Any grievance regarding availing of leave :
2. Any grievance regarding payment of allowances :
3. Any grievance regarding transfer/posting :
4. Staff has any other personal grievances :
5. Staff has any grievances regarding working :
6. Staff has any grievances regarding running room :

7. Staff has any complaints against supervisors :
8. Staff has any suggestions regarding existing rule :
9. Any other suggestions given by staff :
10. Any other remarks

XIV. Awards etc. :

1. Whether any staff deserves to be awarded :
2. Name of staff :
3. Designation :
4. Headquarter station :
5. Amount of award sanctioned :

SIGNATURE :

NAME :

DESIGNATION :

DATE :

यदि आप संरक्षा से सम्बन्धित लेख, कविता इत्यादि लिखते हैं, तो आप अपना नाम, पदनाम, मुख्यालय आदि विवरण के साथ निम्नलिखित पते पर सीधे भेज सकते हैं। मुख्य संरक्षा अधिकारी द्वारा अनुमोदन के पश्चात् इनका प्रकाशन मुख्यालय से प्रकाशित होने वाली जागरूकता पत्रिका में किया जायेगा।

महाप्रबन्धक कार्यालय
मुख्य संरक्षा अधिकारी
उत्तर मध्य रेलवे, मन्दाकिनी
द्वितीय तल, सूबेदारगंज

सावधानी हटी - दुर्घटना घटी।